न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 05/2013

अपीलांट्स

1.भीखाराम पुत्र घमूराम
2.हीराराम पुत्र घमूराम
3.दीपाराम पुत्र घमूराम
जाति भांभी(मेघवाल)निवासी
शहर तहसील,बायतु

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1.तहसीलदार,बायतु
2.फूसाराम पुत्र तिलाराम
3.हुकमाराम पुत्र तिलाराम
4.चुकी पत्नि तिलाराम
5.राउ पुत्र प्रतापा
6.पुरखाराम पुत्र रिड़मलराम
7.अनाराम पुत्र रिड़मलराम
8.भारूराम पुत्र रिड़मलराम
9.चुनीदेवी पत्नि रिड़मलराम
10.झीमो पत्नि रूगाराम
जाति भांभी(मेघवाल)निवासी
शहर तहसील,बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 13.02.2013 द्वारा तहसीलदार,बायतु

उपस्थितः—1.श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3.रेस्पोडेंट संख्या 02 से 10 एक तरफा।

आदेश दिनांक 07.9.2015

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट, व रेस्पोडेंट संख्या 02 से 10 की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 312 बीघा 03 विस्वा मौजा शहर तहसील,बायतु में आई हुई है। जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा,रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 का 1/3 हिस्सा एंव रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10 का 1/3 हिस्सा है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने—अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने—अपने हिस्सों में आवासीय ढा[illegible] बनी हुई है। [illegible] एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 10 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से [illegible] करने हेतु तहसीलदार ,बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। जिस पर तहसीलदार बायतु ने अपील[illegible] आदेश दिनांक 13.02.2013 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर [illegible]। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:27 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

A 5/2

आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. वक्त बहस रेस्पोडेंट संख्या 02 से 10 के अधिवक्ता हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप रेस्पोडेंट संख्या 02 से 10 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेष पारित किये गये। अपीलांटस के अधिवक्ता एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा शहर के खसरा नम्बर 191रकबा 312 बीघा 03 विस्वा में अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 10 का 1/3 हिस्सा है। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। पक्षकारान ने विभाजन कब्जा अनुसार अपनी सहमति दी। पटवारी हल्का ने विभाजन आवेदन तैयार करते समय इसी अनुरूप नक्शा बनाने का आश्वासन दिया था। मगर भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नक्शा नहीं बनाया। रेस्पोडेंट्स ने पटवारी हल्का से मिलकर मौके के कब्जे के विपरित जाकर बंटवाड़ा करवाया है तथा बंटवाड़ा विधिक रूप से भी सही नहीं है। बंटवाड़ा की तरमीम भी बंटवाड़े के स्टाम्प पर बिल्कुल गलत की गई जो मौके पर अपीलांट्स के कब्जे के अनुसार नहीं की गई है। विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। अपीलांट का इस विभाजन से रहवासीय ढाणी का आवास पूर्व कब्जा पूर्ण रूप से प्रभावित रहा है। मयाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि विभाजन प्रस्ताव के तस्दीक होने के पश्चात् पक्षकारान के अपने अपने भूखण्ड पर नाप कर चिन्हित न करने के कारण अपीलांट को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को विवाद की स्थिति पैदा होने पर व विभाजन आदेश की हल्का पटवारी से नकले प्राप्त करने पर दिनांक 12.03.13 को हुआ और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मयाद पेश की है। इसलिये अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

4. इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपील के साथ प्रस्तुत नक्शा एंव विभाजन आदेश के साथ प्रस्तुत नक्शा से यह प्रकट होता है कि पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा नहीं हुआ है, इसलिये मामला पुनः भौतिक कब्जा काश्त अनुसार रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ई.जी.एम.)

A 3

5. हमने अपीलांट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली,उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बायतु द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 13.02.2013 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा शहर के खसरा नम्बर 191 रकबा 312 बीघा 03 विस्वा अपीलांट्स व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 10 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा अपील में अंकित तथ्यो एवं प्रस्तुत नक्शा को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है,उसी बंटवाडा नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मयाद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2013 को अपास्त किया जाता है,और तहसीलदार, बायतु को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0विश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 07.09.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:27 IST
Reason: SelfAttested